



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-148

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 265552 दिनांक 07/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Pista Agarwal W/o VINOD KUMAR AGARWAL	श्री पुष्पिन्दर सिंह पुत्र श्री सरदार मोहिन्दर सिंह	57	300.00 SQ. YARD	Cooperative	PAWAN VIHAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पवन विहार के भूखण्ड संख्या 57 क्षेत्रफल 300 वर्ग गज की लीजडीड श्री पुष्पिन्दर सिंह पुत्र श्री सरदार मोहिन्दर सिंह के नाम से दिनांक 19.3.2010 के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री पुष्पिन्दर सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.2011 के द्वारा श्रीमती सरला गुप्ता पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश गुप्ता को कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती सरला गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजस्ट्रर्ड



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

विक्रय पत्र दिनांक 09.08.12 के द्वारा श्रीमती चित्रा लालवानी पत्नी श्री दिलीप लालवानी को कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती चित्रा लालवानी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 57 मे से दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 160.00 वर्ग गज का बेचान जरिये रजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2025 के द्वारा श्रीमती पिस्ता अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल को कर दिया गया। आवेदिका श्रीमती पिस्ता अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एव उपविभाजन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Pista Agarwal W/o VINOD KUMAR AGARWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।